तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 98/2024 बउनवान अमराराम बनाम सरकार वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

आदेश

दिनांक 04.06.2025

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी खेत खसरा संख्या 141/93 रकबा 50 बीघा एवं खसरा संख्या 142/93 रकबा 30 बीघा मौजा आकडली बक्सीराम तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा में आई हुई है। उक्त भूमि अपीलांट द्वारा जरिये इकरारनामा के द्वारा खातेदार से खरीदना तय कर कृषि भूमि का प्रतिफल पेटे रूपये 60 हजार का भुगतान कर दिया तथा शेष राशि अपीलांट से प्राप्त कर बेचाननामा अपीलांट के नाम पंजीबद्ध करवा दिया जावेगा का इकरारनामा निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया तथा उक्त तमाम कार्यवाही नरसिंगदान चारण उर्फ वेदानन्द प्रधान श्री मामडियाजी समन्वय सेवा समिति गौशाला आकडली बक्सीराम तहसील पचपदरा द्वारा की गई। इकरारनामे अनुसार शेष बकाया प्रतिफल राशि प्राप्त कर नरसिंगदान द्वारा मूल खातेदार से रजि0 विक्रय विलेख के स्थान पर अपीलांट को अध्यक्ष बताकर श्री मामडियाजी राष्ट्रीय समन्वय सेवा समिति जैसलमेर गोशाला आकडली बक्सीराम के नाम बक्शीसनामा पंजीबद्ध करवा लिया गया। लेकिन अपीलाधीन भूमि से संबंधित राजस्व चौसाला प्राप्त किया तब मालूम चला कि अपीलांट को धोखे में रखकर भूमि की पूरी कीमत खातेदार को दिलाकर भूमि गौशाला के नाम जरिये अध्यक्ष बक्सीस करवा ली गई है इसलिए अपीलांट द्वारा बक्सीसनामा में दर्ज श्री मामडियाजी राष्ट्रीय समन्वय सेवा समिति जैसलमेर गौशाला आकडली बक्सीराम का नाम हटाकर मात्र अपीलांट के नाम बक्शीसनाम अनुसार दर्ज किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत कर साथ में धारा 212 रा.का.अधि. के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील संख्या

दृष्टि से दूषित है। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—AIR 2013 SC Page 581, AIR 2015 SC Page 2126, STATE VRS AANJANEY SC, DNJ 2011(3) Page 1261

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आराजी अपीलांट द्वारा क्रय नहीं कर गौशाला द्वारा क्रय की गई। हस्तगत प्रकरण को राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर भौतिक कब्जा गौशाला का है। हस्तगत वाद पक्षकार स्वयं द्वारा पेश नहीं कर खास मुख्त्यार के जरिये पेश किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद इकरारनामा के आधार पर पेश किया गया जो चलने योग्य नहीं है। अपीलाधीन आराजी के पास रिफायनरी स्थिति होने से अपीलांट की नियत में खोट आने से हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। श्रीमान न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन में पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना—पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आराजी में अपीलांटगण का हक हिस्सा है या नहीं यह मूल दावे में साक्ष्य सबूतों से तय होना है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने कई निर्णयों में अवधारित किया है कि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 38/2024 बउनवान अमराराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 को यथावत रखा जाता है। आदेश सरे इजलास दिनांक 04.06.2025 को सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

4/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर